बलबीर ने सत शर्मा को सौंपा छात्रवृत्ति संबंधी ज्ञापन, केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप की मांग

जम्मू, 7 नवम्बर (रोशनी) : जम्मू-कश्मीर एस.सी., एस.टी., बी.सी. विकास निगम के पूर्व वाइस चेयरमैन बलबीर राम रतन ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सत शर्मा को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.बी.सी.) तथा अन्य पात्र श्रेणियों के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करवाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की।



बलबीर राम रतन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सत शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए। (मोहित)

बलबीर राम रतन ने सत शर्मा से अनुरोध किया कि वह जम्मू संभाग के विद्यार्थियों की केंद्र प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों को मंजूरी देने के अधिकार निदेशक समाज कल्याण, जम्मू को वापस दिलाने का मामला भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के समक्ष उठाएं।

ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में समाज कल्याण विभाग के दो अलग-अलग निदेशालय हैं। एक जम्मू संभाग के लिए और दूसरा कश्मीर संभाग के लिए कार्यरत है। इसके बावजूद दोनों संभागों के ओ.बी.सी. और ई.बी.सी. वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों को अंतिम मंजूरी देने का अधिकार निदेशक समाज कल्याण, कश्मीर को सौंपा गया है।

बलबीर ने कहा कि यह व्यवस्था अनावश्यक परेशानियां पैदा करती है और छात्रवृत्तियों की मंजूरी में देरी की संभावना भी बनी रहती है। जम्मू में पूर्ण रूप से कार्यरत समाज कल्याण निदेशालय होने के बावजूद यहां के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति मामलों को अंतिम मंजूरी के लिए कश्मीर भेजना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। इसकी मंजूरी या राशि जारी होने में किसी भी प्रकार की देरी उनकी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। बलबीर ने मांग की कि दोनों संभागों के समाज कल्याण निदेशालयों को अपने-अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां मंजूर करने के अधिकार दिए जाएं। सत शर्मा ने ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यदि समाज कल्याण विभाग में ऐसी व्यवस्था लागू है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के व्यापक हित में इसकी समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में अलग-अलग निदेशालय कार्य कर रहे हैं, तो जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा भी होना चाहिए।

सत शर्मा ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी या देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले को उचित जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा।

डी.सी. ने सी.एल.यू. समिति की बैठक की कि अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

ऊधमपुर, 7 नवम्बर (रमेश) : ऊधमपुर के उपायुक्त अनंत द्विवेदी ने भूमि उपयोग परिवर्तन संबंधी जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आवेदकों द्वारा प्रस्तुत मामलों की समीक्षा की गई। समिति ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 09 मामलों की जांच की। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, एक मामले को मंजूरी दी गई।



डी.सी. सी.एल.यू. की बैठक की अध्यक्षता करते हुए। (तनु)

डीसी ने आवेदकों को कमियों के बारे में समय पर सूचित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यक दस्तावेजों के पूर्ण सत्यापन के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पारदर्शिता और निर्धारित मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले संयुक्त स्थल निरीक्षण करें और स्थलों के भू-निर्देशांकों का सत्यापन करें। बैठक में अन्य लोगों के अलावा, सहायक राजस्व आयुक्त डॉ. उमेश शान और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जिला कांग्रेस की मासिक बैठक में जनसमस्याओं पर हुई विस्तृत चर्चा

■ मोंगरी और पंचेरी की बदहाल सड़कों का मुद्दा उठा

ऊधमपुर, 7 नवम्बर (दीपक): जिला कांग्रेस कमेटी ऊधमपुर की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष सुमित मगोत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने इलाकों की जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया और उनके समाधान की मांग की।

बैठक के दौरान मोंगरी और पंचेरी क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों को लेकर लोगों ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सड़कों की मरम्मत नहीं होने के कारण आम जनता, विद्यार्थियों, मरीजों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ की कमी तथा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का मुद्दा भी उठाया गया। लोगों ने बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में आ रही परेशानियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहे हैं।



मासिक बैठक में भाग लेते हुए कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता। (तनु)

जिला अध्यक्ष सुमित मगोत्रा ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जिन प्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुना है, वे आज जनता की बुनियादी समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोंगरी और पंचेरी जैसे दूरदराज क्षेत्रों की सड़कें बदहाल हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ नहीं है और स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि ऊधमपुर शहर के विभिन्न वार्डों की गलियों और संपर्क मार्गों की हालत भी बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि नए उपायुक्त के कार्यभार संभालने के बाद जिस तरह विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर गंभीरता और सक्रियता दिखाई दे रही है, उससे शहर एवं जिले के विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी जनता की आवाज को लगातार उठाती रहेगी और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन कार्ड तथा शहरी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष मजबूती से रखेगी, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

इस मौके पर जिला उप प्रधान गुंजार सिंह, उप प्रधान शशि मन्हास, ओपी खोखर, ब्लॉक अध्यक्ष मोंगरी हंस राज ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष ऊधमपुर रामपाल भगत, ब्लॉक अध्यक्ष पंचेरी ठाकुर मुलख राज, जिला महासचिव सतीश खजुरिया, ब्लॉक अध्यक्ष कोल्डी तीरथ जीवन राम, राजिंद्र जम्वाल, विकास, विनोद भगत, कुलदीप शर्मा, अश्वनी, पंकज, दिन मोहम्मद, गुरदेव सिंह, राकेश शर्मा आदि मौजूद रहे।

डीसी ने लेखा सहायक परीक्षा के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की

ऊधमपुर, 7 नवम्बर (रमेश): ऊधमपुर के उपायुक्त अनंत द्विवेदी ने वित्त विभाग में लेखा सहायक की भर्ती के लिए आयोजित ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य सेवा बोर्ड (जे.के.एस. एस.बी.) द्वारा आयोजित यह परीक्षा 15 नवंबर, 2026 को निर्धारित है।



परीक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए डिप्टी कमिश्नर। (तनु)

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रेम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। डी.सी. ने परीक्षा की तैयारियों और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'परीक्षा सुचारू, पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, इसके लिए आवश्यक रसद और सुरक्षा उपायों सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं काफी पहले से ही कर ली जानी चाहिए।

दक्षिण नगर निगम पठानकोट
ई-मेल Commissioner.mc.ptk@punjab.gov.in, फोन नं. 0186-2220230
पैंट हैंट

ANNEXURE A
APPLICATION FOR TRANSFER OF OWNERSHIP OF MUNICIPAL PROPERTY (Act) 1) Name of applicant, parentage, age, address, mobile number and e-mail. 2) Property: address; municipal or property ID number, and area claimed in square metres. 3) Present use of the property (residential, commercial or other); 4) I am (tick one, as per the categories in the AG opinion): the original tenant/legal heir of the original tenant, with a Will/without a Will (name and date of death:); occupant without allotment, lease or grant/ independent occupant running a commercial activity/other (explain); 5) Date from which (or the original tenant) have been in continuous possession: (must be on or before 01.04.2008) 6) Documents of possession attached, with the name of the issuing office for each: 7) My annual income as per the Income Tax Return or SDM certificate: Rs (Income group: EWS/LIG/MIG/HIG). 8) Other persons in occupation of any part of the property, if any: 9) Any case, notice or order about this property (court, Tribunal, Collector or urban local body): 10) Other municipal properties in the possession of me, my spouse or dependent children any where in Punjab :
ANNEXURE B: DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION
1. 1) Identity and address proof of the applicant.2) Possession documents from the Rule 7(2) list, covering the period from on or before 01.04.2008 to 01.04.2020. (Rule 7(2), Form-D cl.IX) 3) Original allotment or lease papers and rent receipts, where available. 4) For legal heirs: death certificate of the tenant, proof of heirship (revenue record, succession certificate or certificate of the competent authority). Will (if any, names of all legal heirs, and the written undertaking to abide by the existing terms of the tenancy. (Acts 8(3): AG Q4 (Part A, items 2 and 3) 5) Income Tax Return for the year before the year of transfer, or the SDM income certificate. (Acts 7(1)(c)) 6) Affidavit on the declarations in Annexure 1. 7) Latest receipts of rent, property tax, water and sewerage charges 8) Site plan of the portion in possession.
फॉर्म भरते समय कृपया दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें (B)।
दर्शाये गए सरकारी फीस टैरिफ विवरण के अनुसार सही फीस जमा करवाएं।
टेलीफोन नंबर : 7719421414 मोबाइल नंबर : 9646680959
कृते/- कमिश्नर, नगर निगम, पठानकोट।

सिविल हॉस्पिटल पठानकोट
पंजाब सरकार
पंजाब सरकार की ओर से आप सब के स्वास्थ्य हेतु प्रतिबद्ध
आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, सरकार की दमदार पहल
24×7 आपातकालीन सेवा
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं (प्रसूति एवं नवजात देखभाल)
विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं
मुफ्त दवाइयां एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता
सभी प्रकार की जाँच सुविधाएं (पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि)
टीकाकरण एवं जन स्वास्थ्य कार्यक्रम
आधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं सर्जिकल सुविधाएं
आयुष्मान भारत व सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ
स्वस्थ समाज – समृद्ध पंजाब
सिविल हॉस्पिटल पठानकोट – आपकी सेवा में सदैव तत्पर

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
TRC/3220/2022
बिक्री उद्घोषणा सूचना
पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स केटीएमआर मेटल्स एंड एएनआर
बैंक और वित्तीय संस्थान बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की घोषणा
(सीडी1) मैसर्स के.टी.एम.आर. मेटल्स, B – 108, बेरीवाल नगर, दिल्ली
(सीडी2) सुभाष गगन पुत्र श्री बिशंबर लाल गगन, B – 108, बेरीवाल नगर, दिल्ली
(सीडी3) नवल गगन पुत्र श्री बिशंबर लाल गगन, B – 108, बेरीवाल नगर, दिल्ली
उल्लिखित संपत्ति को दिनांक 16.12.2026 को सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, ताकि मैसर्स केटीएमआर मेटल्स से वसूली प्रमाण–पत्र के अनुसार माननीय पीठासीन अधिकारी, डीआरटी–I, द्वारा निर्धारित देय राशि रु. 2,80,78,824.00 (दो करोड़ अस्सी लाख अठहत्तर हजार नौ सौ चौबीस रुपये मात्र) तथा उस पर देय ब्याज एवं लागत (यदि कोई राशि पूर्व में वसूल की जा चुकी हो तो उसे घटाकर) की वसूली की जा सके।
संपत्ति का विवरण

लॉट की संख्या	बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण, जिसमें सह–स्वामियों के नाम भी शामिल हों–विशेषकर तब, जब संपत्ति किसी डिक्रीदार और किसी अन्य व्यक्ति की संयुक्त स्वामित्व में हो	संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य व्यभार का विवरण, जिसके अधीन संपत्ति है	मूल्यांकन में, यदि कोई हो, तो प्रमाणपत्र कर्मचारी द्वारा दिया गया मूल्यांकन भी बताया जाएगा	संपत्ति के संबंध में, यदि कोई दावे प्रस्तुत किए गए हैं, और इसकी प्रकृति तथा मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण	आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जाएगी	आरक्षित मूल्य का 10% या राशि ऑफ ईएमडी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	संपत्ति वाली शेड 1–सी, इंडस्ट्रियल एस्टेट, कठुआ, जम्मू राज्य जम्मू और कश्मीर	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	रु. 28,64,000.00	रु. 2,86,400.00

1. नीलामी / बोली केवल ई–नीलामी वेबसाइट जिसका https://baanknet.com की सहायता से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली की सहायता से होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता के साथ पहले से ही पंजीकरण कराना चाहिए और यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अपेक्षित धरोहर राशि निर्धारित मोड में जमा की जाती है।
3. ईएमडी 14.12.2026 को शाम 05:00 बजे तक बैनर्स / बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET) https://baanknet.com पर जमा की जाएगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी को ई–नीलामी में भाग लेने हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, पैन कार्ड, पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की प्रति, तथा कंपनी के मामले में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव की प्रति अथवा साझेदारी के प्रतिनिधित्व / अटॉर्नी की पुष्टि करने वाले किसी अन्य दस्तावेज की प्रति तथा ईएमडी जमा राशि की रसीद / बयाना फाइल 14.12.2026 को शाम 05:00 बजे तक स्कैन कर ई–नीलामी वेबसाइट के माध्यम से सेवा प्रदाता के पास पहुंच जानी चाहिए। ईएमडी जमा रसीदों की हार्ड कॉपी भी वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–I दिल्ली के कार्यालय में 14.12.2026 तक पहुंच जानी चाहिए। यहीं भी माना जाता है कि असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि भुगतान के उसी तरीके के माध्यम से ऐसे बोलीदाताओं के संबंधित खाते में वापस कर दी जाएगी।
5. संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

नीलामी एजेंसी का नाम	बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET)
संपर्क व्यक्ति	श्री उदय जाधव (बैनर्नेट के प्राधिकृत अधिकारी)
टेलीफोन नं	+91-9820878255, 8291220220
टेलीफोन ई–मेल पता	Support.BAANKNET@psballiance.com
बैंक अधिकारी	ललित कुमार गुप्ता (मुख्य प्रबंधक) 7979083303

6. संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें तथा प्रक्रिया के लिए वेबसाइट https://baanknet.com पर जाएं।
7. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
8. संपत्ति उपरोक्त लॉट में प्रस्तावित आरक्षित मूल्य के साथ एक (01) लॉट में बेची जाएगी।
9. बोलीदाताओं को संपूर्ण नीलामी अवधि के दौरान रु.20,000/– के गुणकों में ऑनर बढ़ा सकेंगे।
10. संपत्ति "जहां है जैसी है" के आधार पर बेची जाएगी और ई–नीलामी एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
11. उच्चतम बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली राशि का 25% बैनर्स बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET) https://baanknet.com में पहले से भुगतान की गई ईएमडी के समायोजन के बाद तत्काल अगले बैंक कार्य दिवस शाम 4:00 बजे तक वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली खाता टी.आर.सी. क्रमांक 3220/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा।
12. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले बिक्री प्रतिफल राशि का शेष 75% जमा करना होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है, तो तत्काल पहले बैंक कार्य दिवस पर वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली, खाता टी.आर.सी. क्रमांक 3220/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा। उपरोक्त के अलावा, क्रेता को रजिस्ट्रार, डीआरटी–I, दिल्ली के पक्ष में बिक्री प्रतिफल राशि पर 1% पार्सल्स शुल्क (फ्लैट रु. 10) भी जमा करना होगा। पार्सल्स शुल्क के लिए तैयार किया गया डीडी वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली के कार्यालय में जमा किया जाएगा।
13. यदि निर्धारित समय–सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो जमा की गई राशि (बिक्री के खर्चों को काटने के बाद) को, यदि अभिकृत अधिकारी उचित समझें, सरकारी खाते में जब्त किया जा सकता है तथा भुगतान में चूक करने वाला क्रेता उस संपत्ति या जमा की गई राशि पर अपने सभी दावों से वंचित हो जाएगा। बिक्री की गई घोषणा जारी करने के तुरंत बाद उस संपत्ति को पुनः बेच दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खरीदार उस राशि की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो उसकी अंतिम बोली की राशि और बाद में जिस कीमत पर संपत्ति बेची गई है, उसके बीच के अंतर या कमी के रूप में सामने आती है।
14. नीलामी का कार्यक्रम इस प्रकार है :–

सभी माध्यम से नोटिस की सार्वजनिक	14.11.2026	
सम्पत्ति का निरीक्षण	30.11.2026	दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
जमा धरोहर राशि के प्रस्ताव और नीलामी एजेंसी फॉर्म्स के प्रस्तावेज अपलोड करने के साथ भौतिक बोलियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि	14.12.2026	05:00 बजे अप. तक
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	16.12.2026	12:00 बजे दोपहर से 1:00 बजे अप.

15. वसूली अधिकारी के पास किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, अथवा बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी को स्थगित या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
इस अधिकरण की मुहर के साथ, मेरे हस्ताक्षर के अधीन, दिनांक 19.10.2026 को जारी किया गया।
इक्षा/–
रविंद्र कुमार तोमर
वसूली अधिकारी–I,
ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली



डी.आई.जी. को सम्मानित करते हुए कुश्ती संघ के सदस्य। (तनु)

डी.आई.जी. को किया गया सम्मानित

ऊधमपुर, 7 नवम्बर (दीपक): जम्मू-कश्मीर भारतीय शैली कुश्ती के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर राज्य खेल परिषद के पूर्व संयुक्त सचिव शिव कुमार शर्मा और कटरा भारतीय शैली कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबू राम शर्मा ने स्वर्ण सिंह कोतवाल, आई.पी.एस. पुलिस उप महानिरीक्षक (डी.आई.जी.) ऊधमपुर-रियासी रेंज को सम्मानित किया।

उन्हें 18 अक्टूबर 2026 को एस.एम.वी.डी.एस.बी. मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स स्टेडियम, कटरा में आयोजित 19वें मिशन दोस्ती इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल महा कुश्ती दंगल में उनके योगदान के लिए उनके कार्यालय में माता की चुनरी और एक स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया।

Union Territory of Jammu & Kashmir
Jal Shakti (Irrigation & Flood Control) Department
Office of the Executive Engineer Irrigation Division No.II Jammu
E-Mail: xenirrigation-div2@jk.gov.in, Tel/Fax: 0191-2457756
****
SHORT TERM NOTICE INVITING E- TENDERS
Fresh E-NIT No.: 17 of 11/2026-27
For and on behalf of Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir, Executive Engineer Irrigation Division No.-II, Jammu invites e-tenders in two cover system **Cover 1st** containing prequalification documents and **Cover 2nd** containing Price Bid from registered contractors of appropriate Class for the below mentioned work:

S. No.	Name of the Work	Advertised Cost (Rs. in lacs)	Earnest Money Deposit	Time of completion	Class of Contractor	Cost of Tender Documents (Rs.)
1.	LISPindi Sarochalmprovement on the left side of Garore nallah by way of repair of lift station and extension of field channel.	7.78	2% of the Advertised Cost.	15 Days	A,B,C& D	500

Position of A.A. A : Accorded
Position of T. S : Accorded
Position of Funds : Partially available
Important Dates:
i) Date of Publishing from : 06-11-2026 (06:00 PM)
ii) Downloading from : 06-11-2026 (06:00 PM)
iii) Uploading from : 06-11-2026 (06:00 PM)
iv) Uploading stops on : 12-11-2026 (04:00 PM)
v) Tender opens on : 13-11-2026 (01:00 PM)
1. The bidding documents can be downloaded from the website **http://jktenders.gov.in** w.e.f. **06-11-2026** from **18:00 Noon** onwards.
2. The bids shall be uploaded/submitted in electronic format on the website **http://jktendersgov.in** w.e.f 06-11-2026 from **18:00 Noon** onwards.
3. The complete bidding process will be **ONLINE.**
4. The tender uploaded on the website up to due date will be opened on **13-11-2026 (01:00 PM or Subjective)** in the office of the **Executive Engineer Irrigation Division No-II, Jammu** in the presence of the bidders who wish to attend. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
5. Bidding documents can be seen and downloaded from the website http://jktenders.gov.in Bidding documents contain qualifying criteria for bidders and other details such as terms and conditions etc.
6. Bid must be accompanied by Bid Security and cost of tender documents as mentioned in the above table in the form as specified in the bidding documents. The Earnest Money Deposit (EMD) in the shape of CDR/FDR/Bank Guaranteefor the specified work shall be pledged to the **"Executive Engineer Irrigation Division No-II, Jammu"** and shall be valid for at least 180 days from the date of submission of tenders.
7. The lowest Bidder i.e. L1 shall be intimated to deposit the original copy of required earnest money in the shape of CDR/FDR/Bank Guarantee and hard copies of all relevant documents as mentioned in clause of general instructions to the bidders within **03 days** from the date of opening of financial Bids.
8. In light of Govt. Notification issued by Finance department Civil Secretariat vide no. A/24(2017)-651 dated: 07- 06-2018, the bidder must upload the copy of Challan/Receipt on account of cost of tender documents remitted in the treasury concerned for that the bidders must write an application to be addressed to treasury officer concerned requesting therein for remittance of amount as cost of tender documents towards **M.H 0701 - Revenue (Others).** The bidder shall also write e-NIT No., S.No.&Name of work on the Treasury Receipt/Challan.
9. The bids for the work shall remain open for acceptance for a period of 90 days from the date of opening of bids.
10. No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the State Government is allowed to work as a contractor for a period of two years after his retirement from Government service, without permission of the Government. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found any time to be such a person who had not obtained the permission of the Government as aforesaid before submission of the tender or engagement in the Contractors service
11. Other relevant details can be seen in the bidding documents so downloaded.
12. Instructions to bidders regarding e-tendering process and General conditions of contract:
a. The tender opening authority reserves the right to accept/reject any or all tenders without assigning any reason thereof.
b. The interested bidder can download the bidding documents such as BOQ's and sundry details like terms and conditions from the web site **http://jktenders.gov.in**
c. The bidders are advised to download the bid submission manual for the purpose of bid submission process from the "download" option as well as from "Bidder Manual Kit" on website **http://jktenders.gov.in**
d. To participate in online bidding process, bidders have to get (DSC) "Digital Signature Certificate" as per Information Technology Act-2000. This certificate will be required for digitally signing the bid. Bidders can get above mentioned Digital Certificate from any approved vendor. The bidders who already possess valid (DSC) "Digital Signature certificate" need not procure new Digital Signature Certificate.
e. The bidders have to submit their bids online in electronic format with Digital Signature. The bids cannot be up loaded without digital signature. No proposal will be accepted in physical form.
f. Bids will be opened online as per time schedule mentioned in the NIT.
g. Before submission of online bids, bidders must ensure that scanned copies of all the necessary documents have been attached with the bid. **Note:** - Bidders are advised to scan their documents at 100 DPI (Dots per inch) resolutions with Colour/Black and White JPG/JPEG scan properly & convert scanned images to PDF mode.
h. The Department shall not be responsible for delay in online submission of bids for whatsoever reasons they may be.
No: JID/II/2026-27/4913-4949 **Sd/-**
Dated: 06-11-2026 **Executive Engineer**
Irrigation Division No. II
Jammu
Dip/J-13947/26 Dated: 7/11/2026

उपायुक्त डॉ. देवांश यादव ने डेरा की गली का किया दौरा, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही



उपायुक्त डॉ. देवांश यादव डेरा की गली का दौरा कर पर्यटन सुविधाओं का जायजा लेते हुए।

राजौरी, 7 नवंबर (शिवम बक्शी): राजौरी जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डेरा की गली (डीकेजी) को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने और यहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायुक्त डॉ. देवांश यादव ने शनिवार को डेरा की गली का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजौरी मलिकजादा शेराज-उल-हक, एसडीएम थन्नामंडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दौरे के दौरान उपायुक्त ने स्थानीय लोगों, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और अन्य संबंधित लोगों के साथ बातचीत की तथा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर चर्चा की।

इस दौरान उपायुक्त ने बर्फबारी के बाद डेरा की गली में विंटर कार्निवल आयोजित करने की योजना पर भी चर्चा की। प्रस्तावित कार्निवल के माध्यम से सर्दियों के मौसम में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और क्षेत्र की प्राकृतिक खूबसूरती को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा।

इसके उपरांत उपायुक्त ने पर्यटक हट्स का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पर्यटक हट्स का आवश्यक उन्नयन करने तथा बुनियादी सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि हम सब की सक्रिय भागीदारी से डेरा की गली को एक आकर्षक शीतकालीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में मदद मिल सकती है। प्रस्तावित विंटर कार्निवल से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है।